न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 13/2017

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. मोहनसिंह पुत्र केशरसिंह जाति राजपूत निवासी सिवेरा तहसील पिण्डवाड़ा जिला सिरोही		1. धनसिंह पुत्र खुशालसिंह जाति राजपूत निवासी सिवेरा तहसील पिण्डवाड़ा जिला सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :

श्री प्रमोद कुमार दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री राजेन्द्र आढ़ा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 29.11.18

———0———

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) पिण्डवाड़ा द्वारा राजस्व वाद संख्या 144/2016 धनसिंह बनाम मोहनसिंह में पारित निर्णय दिनांक 18.05.2017 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर अपीलाण्ट को उसकी खातेदारी भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना ही जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली जवाबदावा हेतु ही नियत थी, इसके बावजूद भी अपीलाण्ट की सहमति के बिना ही प्रकरण को राजस्व लोक अदालत के तहत विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए निर्णीत किया है, जो विधि विरूद्ध है। विधि अनुसार लोक अदालत के तहत पक्षकारान् की सहमति से ही किसी भी प्रकार का निर्णय पारित किया जा सकता है। पक्षकारान् सहमत नहीं होने की दशा में प्रकरण का बाद ट्रायल ही निर्णय किया जा सकता है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान राजस्व लोक अदालत में उपस्थित ही नहीं थे, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध रूप से जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त कराते हुए प्रकरण का विधि सम्मत निस्तारण करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-सिरोही

राजस्व ...
पाली कैम्प-सिरोही

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील विवादित आराजी रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि है, जिसके सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि पर कब्जा करने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 के तहत वाद प्रस्तुत किया, जिसमें अपीलाण्ट द्वारा 5 माह तक जवाबदावा प्रस्तुत ही नहीं किया, जिस पर जवाबदावा का अवसर स्वतः समाप्त मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अधीनसी न्यायालय द्वारा प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में नियत किया गया तथा उसका नोटिस भी जारी किया गया, जो स्वयं अपीलाण्ट द्वारा तामील किया गया है, दोनों ही पक्षकार लोक अदालत के दिवस कैम्प में उपस्थित थे। निर्णय पारित होने से पूर्व पटवारी हल्का द्वारा मौका निरीक्षण कर मौका फर्द रिपोर्ट बनाई, जिसमें अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट की भूमि पर कब्जा करना स्वीकार किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त स्वीकारोक्ति के आधार पर जैर अपील निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस के प्रत्युत्तर में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी भी रूप में स्वीकारोक्ति नहीं प्रदान की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो वादी के बयान लिए, न साक्ष्य संग्रहित की एवं न ही अपीलाण्ट द्वारा यह स्वीकार किया गया, कि मौके पर अपीलाण्ट का कब्जा है, ऐसी कोई स्वीकारोक्ति रेकर्ड पर नहीं है। जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किए जाने की दशा में जवाबदावा बन्द करने के पश्चात ही किसी प्रकार की कार्यवाही की जा सकती है, स्वतः जवाबदावा बन्द समझने का कानून में कोई प्रावधान नहीं है। रेस्पोडेन्ट गांव में निवास ही नहीं करता है, वाद प्रस्तुत करने की एकमात्र मंशा कब्जा प्राप्त कर भूमि का बेचान करना ही था। विधि अनुसार कब्जा नहीं होने की दशा में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 के तहत खातेदारी अधिकार समाप्त हो जाते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए जेर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय अपास्त करावें।

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध राजस्व रेकर्ड का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि ग्राम सिवेरा तहसील पिण्डवाड़ा के खसरा नम्बर 157 रकबा 3.12 बीघा की भूमि रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि है। रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा होना बताते हुए अपीलाण्ट को उक्त आराजी से बेदखल करने एवं पुनः कब्जा रेस्पोडेन्ट को सुपुर्द कराने का निवेदन किया। प्रकरण में अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ, किन्तु किसी प्रकार का जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया। प्रकरण में जैर अपील विवादित आराजी का पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 17.05.2017 को मौका निरीक्षण किया गया, जिसमें विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का कब्जा होना जाहिर किया। इसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान् की राजस्व लोक अदालत में उपस्थिति अंकित करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है, जबकि आदेशिका में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

पक्षकारान् के हस्ताक्षर ही नहीं है, जो पक्षकारान की राजस्व लोक अदालत में उपस्थिति साबित करता हो। हस्तगत निर्णय लोक अदालत में पारित किया गया है। इस सम्बन्ध में विधिक प्रश्न प्रकट होता है कि क्या पक्षकारान की अनुपस्थिति में एवं पक्षकारान् की सहमति के बिना लोक अदालत के माध्यम से पारित निर्णय विधि सम्मत है अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में इस सम्बन्ध में इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0सी0आर0 (सिविल) 2006 (4) पेज 947 सहित विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि " Legal Services Authorities Act 1987, Section 20 - Power of disposal of cases by Lok Adalat - No order can be passed by Lok Adalat if no compromise or settlement is or could be arrived at between parties" इसका विस्तृत विवेचन इस प्रकार किया है कि "The specific language used in sub-section of Section 20 makes it clear that the Lok Adalat can dispose of a matter by way of a compromise or settlement between the parties, Two crucial terms in sun-section (3) and (5) of Section 20 are "compromise" and "settlement". The former expression means settlement of differences by mutual concessions. It is an agreement reached by adjustment of conflicting or opposing claims by reciprocal modification of demands. As per Terms de la Ley, 'compromise is a mutual promise of two or more parties that are at controversy. As per Bouvier it is "an agreement between two or more persons, who, to avoid a law suit, amicably settle their differences, on such terms as they can agree upon" The word "compromise" implies some element of accommodation on each side. It is not apt to describe total surrender. A compromise is always bilateral and means mutual adjustment. "Settlement" is a termination of legal proceedings by mutual consent. If no compromise or settlement is or could be arrived at, no order and be passed by the Lok Adalat." इसी प्रकार एस0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 9194/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए यह अभिमत प्रकट किया कि जब पक्षकारान् के मध्य राजीनामा अथवा सहमति नहीं हो, तो लोक अदालत के माध्यम से आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उक्त अभिनिर्णयों से हस्तगत प्रकरण पूर्णतः प्रभावित होता है। हालांकि प्रकरण में प्रश्नगत आराजी पर अपीलाण्ट द्वारा कब्जा किया जाना प्रकट होता है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित करने में जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह विधि सम्मत नहीं होने के कारण जैर अपील निर्णय को समर्थन नहीं दिया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना किए बिना ही लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारान में सहमति के बिना जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत नहीं होने के कारण समर्थन योग्य नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) पिण्डवाड़ा द्वारा राजस्व वाद संख्या 144/2016 धनसिंह बनाम मोहनसिंह में पारित निर्णय दिनांक 18.05.2017 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त Observation के आधार पर जांच कर पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली केम्प-सिरोही

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-सिरोही